<u>न्यायालय अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, आमला, जिला बैतूल</u> (पीठासीन अधिकारी – श्रीमती मीना शाह)

<u>व्य.वाद. क्रमांक:— 81ए / 16</u> संस्थापन दिनांक:—26.11.16 फाईलिंग नं. 4000356 / 2016

 देवराव पिता गोरे, मेहरा उम्र 45 वर्ष निवासी डोडावानी, तहसील आमला जिला बैतूल

.....<u>वादी</u>

वि रू द्व

- दुबेराम पिता रामप्रसाद जाति गौली, 55 वर्ष निवासी बड़ाखारी, तहसील आमला, जिला बैतूल
- 2. किशोरी पिता गोरे, जाति मेहरा (मृत)
- अ. सम्पत्या पिता किशोरी मेहरा, 40 वर्ष
- ब. गुड्डू पिता किशोरी मेहरा, 40 वर्ष
- स. कमलेश पिता किशोरी मेहरा, 30 वर्ष
- द. आदेश पिता किशोरी मेहरा, 28 वर्ष सभी निवासी डोडावानी, तहसील आमला, जिला बैतूल
- ई. दुर्गा पुत्री किशोरी मेहरा, 42 वर्ष निवासी रैयतवाडी तहसील आमला, जिला बैतूल
- 3. प्रमिला जौजे मंशाराम, 40 वर्ष निवासी कुटखेड़ी तहसील आमला, जिला बैतूल
- 4. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर महोदय, बैतूल

.....प्रतिवादीगण

<u> -: (आदेश) :-</u>

(आज दिनांक 25.07.2017 को पारित)

- 1 इस आदेश द्वारा वादी की ओर प्रस्तुत आवेदन क्रमांक—1 अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 एवं 2 सहपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता का निराकरण किया जा रहा है।
- 2 आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादित भूमि खसरा नंबर 109 रकबा 0.227 हे. खसरा नंबर 262 रकबा 3.355 हे. वादी देवराव के पिता गोरे वल्द धोंडू के नाम सहस्वामी के रुप में दर्ज था तथा उसके पिता गोरे की

मृत्यु के उपरांत उसके नाम वारसाना हक में सहस्वामी के रुप में दर्ज हुआ। इस प्रकार विवादित भूमि का वादी का स्वत्व एवं आधिपत्य निहित है। वादी देवराव की नााबलिंग अवस्था में उसके भाई प्रतिवादी क्रमांक 02 किशोरी ने उसके वली की हैसियत से प्रतिवादी क्रमांक 01 दुबेराम को विवादित भूमि खसरा नंबर 262 / 5 रकबा 0.573 हे. दिनांक 27.04.1987 को बेच दी। उक्त विकय पत्र के आधार पर प्रतिवादी दुबेराम को नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज हो चुका है। परंतु उक्त भूमि का वास्तविक स्वत्वाधिकारी वादी है। साथ ही विवादित भूमि खसरा नंबर 109/1 रकबा 0.076 हे. पर वर्ष 2014-15 तक मात्र. प्रतिवादी दुबेराम का नाम दर्ज था लेकिन वर्तमान में प्रतिवादी क्रमांक 03 प्रमिला को नाम उपर्युक्त भूमि पर भूमिस्वामी के रुप में दर्ज है, जबकि उपर्युक्त भूमि का भी वास्तविक स्वत्वाधिकारी वादी है। विवादित भूमि पर वादी का नाम उसके पिता की मृत्यु उपरांत सहस्वामी के रुप में दर्ज हुआ, जिसपर प्रतिवादीगण को किसी भी प्रकार का कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होता है। विवादित भूमियों पर वादी का स्वत्व एवं आधिपत्य है। प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूतर्नीय क्षति का सिद्धांत वादी के पक्ष में होने के उपरांत प्रतिवादींगण को विवादित भूमि के अंतरण एवं वादी के आधिपत्य में हस्तक्षेप करने से निषेति किया जाए।

प्रतिवादी क 01, 02 (अ,ब,स,द,ई) एवं 03 के द्वारा उपर्युक्त आवेदन का संयुक्त रुप से लिखित में जवाब पेश कर यह लेख किया गया कि विवादित भूमि संयुक्त परिवार की पैतृक भूमि है। वादी के पिता गोरे ने संयुक्त पैतुक संपत्ति के बंटवारे में प्राप्त भूमि खसरा नंबर 109/1 रकबा 0.076 हे. तथा खसरा नंबर 262 / 4, 262 / 5 रकबा क्रमशः 0.573, 0.573 हे. का बंटवारा अपने दोनों पुत्र वादी देवराव एवं प्रतिवादी किशोरी के बीच कर दिया था। जिसमें से खसरा नंबर 109 / 1 रकबा 0.076 हे. एवं खसरा नंबर 262 / 5 रकबा 0.573 हे. वादी देवराव को बंटवारे में दिया। वादी के पिता गोरे ने वादी के विवाद हेत् उपर्युक्त विवादित भूमियों का विक्रय किये जाने हेतु बिसार पत्र तैयार किया, परंतु उसके पश्चात् उनकी मृत्यु हो गयी। लेकिन उसी बिसार पत्र के अनुरुप विवादित भूमियों का विकय प्रतिवादी दुबेराम के पक्ष में दिनांक 27.04.1987 को किया गया तथा प्रतिवादी किशोरी ने उसे बंटवारे में मिली भूमि का विक्रय उदेराम को किया। प्रतिवादी दुबेराम विक्रय उपरांत विवादित भूमियों का स्वामी हुआ तत्पश्चात् उसके द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 03 प्रमिला के रुप में विक्रय दिनांक 03.02.2016 को किया गया। जिसमें प्रमिला का नाम भी राजस्व अभिलेखों में दर्ज हो चुका है। प्रतिवादीगण के पक्ष में किए गए विक्रय पूर्णतः वैध हैं तथा विकय उपरांत प्रतिवादीगण को भूमि पर कब्जा भी मिल चुका था। अतः प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन एवं अपूतर्नीय क्षति का सिद्धांत वादी के पक्ष में ना होने से उसका आवेदन खारिज किया जाए।

- 4 आवेदन के निराकरण हेतु न्यायालय में समक्ष निम्न विचारणीय बिन्दु है :--
 - 1. क्या वादीगण के पक्ष प्रथम दृष्टया मामला है ?
 - 2. क्या सुविधा का संतुलन वादीगण के पक्ष में किया ?
 - 3. क्या आवेदन निरस्त किए जाने से वादीगण को अपूर्तनीय क्षति होगी ?

निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के आधार

विचारणीय प्रश्न क. 1 का निराकरण

- 5 वादी ने अपने आवेदन में यह लेख किया है कि खसरा नंबर 109 रकवा 0.227 हे. खसरा नंबर 262 रकवा 3.355 हे. वादी के पिता गोरे के नाम पर सहस्वामी के रुप में दर्ज था। संपूर्ण भूमि पर वादी का स्वत्व स्वामित्व व आधिपत्य निहित है। वादी ने अपने आवेदन में यह भी बताया है कि प्रतिवादी क्रमांक 02 किशोरी ने उसके वली की हैसियत से उसके हक, हिस्से एवं कब्जे की भूमि खसरा नंबर 109 में से 0.076 हे. तथा खसरा नंबर 262/5 रकवा 0. 573 हे. रिजस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 27.04.1987 के द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 01 के पक्ष में निष्पादित कर दिया है। उपर्युक्त विकय पत्र शून्य है, वादी पर बंधनकारी नहीं है, इसलिए प्रतिवादी दुबेराम को कोई स्वत्व एवं आधिपत्य प्राप्त नहीं होता है तथा विवादित भूमियों पर वादी का आधिपत्य चला आ रहा है। दुबेराम के द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 03 प्रमिला के पक्ष में विवादित भूमि खसरा नंबर 109/1 का विकय कर दिया गया है, उसे भी कोई स्वत्व प्राप्त नहीं होता है।
- 6 प्रतिवादी ने अपने आवेदन में यह बताया कि वादी के पिता गोरे के द्वारा उन्हें बंटवारे में प्राप्त भूमि का बंटवारा अपने दोनों पुत्र देवराव और किशोरी के बीच कर दिया गया था एवं देवराव के विवाह हेतु उसके पिता गोरे ने विवादित भूमियों के विक्रय का प्रस्ताव प्रतिवादी के मध्य रखा था और जो चर्चा हुई थी उसके अनुसार ही बाद में विक्रय पत्र निष्पादित किया गया। विक्रय उपरांत से ही निरंतर प्रतिवादी दुबेराम का आधिपत्य चला आ रहा है तथा राजस्व अभिलेखों में भूमि स्वामी के रुप में भी उसका नाम दर्ज चला आ रहा है।

वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज खसरा पंचासाला वर्ष 78-79 से 82-83 के अवलोकन से खसरा नंबर 109 एवं 262 वादी के पिता गोरे के नाम पर अन्य खातेदार बिहारी एवं गिरधारी के नाम दर्ज होना प्रकट हो रही है। खसरा पंचसाला वर्ष 1983–84 से 87–88 के अवलोकन से खसरा नंबर 109 एवं 262 वादी के पिता गोरे एवं अन्य सहस्वामी बिहारी एवं गिरधारी के वारसानों के नाम पर दर्ज होना प्रकट हो रही है तथा खसरा पंचसाला वर्ष 88-89 से 89-90 के अवलोकन से विवादित भूमि खसरा नंबर 109 के बटा नंबर होकर पृथक-पृथक बिहारी एवं गिरधारी के वारसानों के नाम पर दर्ज होना तथा 109 / 1 प्रतिवादी दुबेराम के नाम पर दर्ज होना प्रकट हो रहा है। वर्ष 2005 से 2017 तक के किश्तबंदी खतौनी में निरंतर खसरा नंबर 109/1 रकबा 0.076 हे. पर प्रतिवादी दुबेराम का नाम दर्ज होना प्रकट हो रहा है। उपर्युक्त वर्ष के ही खसरा के अवलोकन से विवादित भूमि खसरा नंबर 262/5 रकबा 0.573 हे. भी प्रतिवादी दुबेराम के नाम दर्ज होना प्रकट हो रही है। जबकि प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज विकय पत्र दिनांक 27.04.1985 के अवलोकन से प्रतिवादी किशोरी के द्वारा उदेराम के पक्ष में खसरा नंबर 262 / 4 रकबा 0.572 हे. का विकय किया जाना दर्शित हो रहा है। विकय पत्र दिनांक 03.02.2016 के अवलोकन से प्रतिवादी क्रमांक 01 द्बेराम के द्वारा प्रतिवादी क्रमांक 03 प्रमिला के पक्ष में विवादित भूमि खसरा नंबर 109 / 1 रकबा 0.076 हे. का विक्रय किया जाना दर्शित हो रहा है।

वादी के द्वारा जो दस्तावेज प्रस्तृत किए गए हैं, उनमें वर्ष 88-89 में मूल खसरा नंबर 109 एवं 262 वादी के पिता गोरे के नाम अन्य सहस्वामियों के साथ दर्ज होना प्रकट हो रहा है, परंत वादी के ही द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज खसरा पंचसाला वर्ष 89-90 के अवलोकन से खसरा नंबर 109 का बटे नंबर होकर पृथक-पृथक भूस्वामियों के नाम पर दर्ज होना तथा 109/1 प्रतिवादी द्बेराम के नाम पर दर्ज होना प्रकट हो रहा है। वादी के वर्ष 1990 के पश्चात् के ऐसे कोई भी दस्तावेज प्रस्तृत नहीं किए गए हैं जिससे यह प्रकट हो कि उपर्युक्त भूमियों पर वादी के पिता गोरे का नाम सहस्वामी के रुप में दर्ज रहा हो या उनकी मृत्यु उपरांत वादी का नाम राजस्व दस्तावेजों में आया हो। जबकि वादी के ही द्वारा प्रस्तृत दस्तावेज के अवलोकन से वर्ष 1990 के उपरांत निरंतर राजस्व दस्तावेजों में प्रतिवादी क्रमांक 01 दुबेराम का नाम खसरा नंबर 109/1 रकबा 0.076 हे. तथा खसरा नंबर 262/5 रकबा 0.573 हे. दर्ज होना प्रकट हो रहा है। प्रतिवादी क्रमांक 01 दुबेराम ने विक्रय पत्र दिनांक 27.04.1987 के माध्यम से विवादित भूमी पर अपना स्वत्व एवं आधिपत्य होना बताया है। इस प्रकार प्रतिवादी क्रमांक 01 दुबेराम का विवादित भूमियों स्थापित आधिपत्य दर्शित हो रहा है। वादी के द्वारा ऐसे कोई भी दस्तावेंज प्रस्तुत नहीं किए गए है, जिससे यह माना जाए कि विवादित भूमियों पर उसका आधिपत्य है। विक्रय पत्र

दिनांक 27.04.1987 का है एवं रजिस्टर्ड है जिसके प्रथम दृष्टया सही होने की उपधारणा की जाएगी। अतः स्वत्व घोषणा एवं विक्रय पत्र को शून्य घोषित कराए जाने के संबंध में प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में नहीं पाया जाता।

विचारणीय प्रश्न क. 2 एवं 3 का निराकरण

- 9 विवादित भूमि खसरा नंबर 109/1 रकबा 0.076 हे. एवं खसरा 262/5 रकबा 0.573 हे. पर प्रतिवादी क्रमांक 02 दुबेराम को स्थापित आधिपत्यधारी होना प्रथम दृष्टया प्रकट हुआ। अतः यदि प्रतिवादी क्रमांक 02 को विवादित भूमि के उपभोग से एवं अंतरण से वंचित किया जाता है तो निश्चित ही वादी के तुलना में प्रतिवादी क्रमांक 02 को असुविधा को सामना कराना पड़ेगा तथा प्रतिवादी क्रमांक 02 के द्वारा विवादित भूमि खसरा नंबर 109/1 का प्रतिवादी क्रमांक 03 प्रमिला के पक्ष में विक्रय कर दिया गया है। उसके पश्चात् प्रतिवादी क्रमांक 03 का उपर्युक्त भूमि पर राजस्व दस्तावेजों में नाम भी दर्ज हो गया है। यदि विवादित भूमियों का प्रतिवादी क्रमांक 02 व 03 के द्वारा वाद लंबन के दौरान किसी अन्य को विक्रय भी किया जाता है तो उस पर विचाराधीन वाद का सिद्धांत लागू होगा तथा ऐसा विक्रय न्यायालय के आदेश अध्याधीन होगा तथा यदि वादी अपना वाद प्रमाणित करने में सफल रहता है तो उसे हुई क्षति की पूर्ति कराई जा सकती है। अतः सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का सिद्धांत भी वादी के पक्ष में नहीं पाया जाता है।
- 10 प्रथम दृष्टया मामला सुविधा को संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का सिद्धांत वादी के पक्ष में ना पाए जाने के कारण उसके द्वारा प्रस्तुत आवेदन खारिज किया जाता है।
- 11 आवेदन का निराकरण का प्रकरण के गुण—दोष के आधार पर पारित निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं होगा। आवेदन के निराकरण का व्यय प्रकरण के परिणाम पर निर्भर करेगा।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर पारित । मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2, आमला, जिला बैतूल (श्रीमती मीना शाह) अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, आमला, जिला बैतूल